आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / कुष्ठ / 05 / 2019 / 12309 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
3.	श्री बी0पी0गौड	एन0एम0एस0	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी	सामु0स्वा0के0चकराता, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / कुष्ठ / 05 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी / देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / कुष्ठ / 05 / 2019 / 12295 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संजय पाठक	एन0एम0एस0	समु0स्वा0के0लक्सर, हरिद्वार	सामु0स्वा0के0थत्यूड, टिहरी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / कुष्ठ / 05 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार / टिहरी।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/कुष्ठ/05/2019/12297 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जीवन सिंह मनराल	एन0एम0एस0	जिला कुष्ठ इकाई, ऊधमसिंहनगर	सामु0स्वा0के0काण्डा, बागेश्वर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/कुष्ठ/05/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर /बागेश्वर।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/कुष्ठ/05/2019/12299 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मनीषा भटनागर	एन0एम0एस0	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूडकी	प्रा0स्वा0के0पिल्खी, टिहरी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/कुष्ठ/05/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूडकी ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूडकी /टिहरी।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / कुष्ठ / 05 / 2019 / 12301 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री प्रेम चन्द्र सनवाल	एन0एम0एस0	समु0स्वा0के0काण्डा, बागेश्वर	जिला कुष्ठ इकाई, ऊधमसिंहनगर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / कुष्ठ / 05 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर / बागेश्वर।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/कुष्ठ/05/2019/ 12303 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री परम सिंह	एन0एम0एस0	प्र0स्वा0के0पिल्खी, टिहरी	मैकलारेन कुष्ठ चिकित्सालय, चन्दर नगर, देहरादून	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/कुष्ठ/05/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून /टिहरी।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/कुष्ठ/05/2019/ 12305 देहरादूनः दिनांक– 24/0C/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लाखीराम भट्ट	एच0ई0	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/कुष्ठ/05/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ/ऊधमसिंहनगर।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / कुष्ठ / 05 / 2019 / 12307 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2.	श्री आनन्द सिंह नेगी	एन0एम0एस0	प्रा0स्वा0के0यमकेश्वर, पौडी	सामु0स्वा0के0रायपुर, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / कुष्ठ / 05 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी / देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे/06/2019/ 12275 देहरादूनः दिनांक– 24/06/18

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अशोक भट्ट	एक्स–रे टैक्नी0	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ	जिला चिकित्सालय, अल्मोडा	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे टै0/06/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ।
4– प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोडा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ/ अल्मोडा ।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे/06/2019/ 12277 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2.	श्री सुजीत कटियार	एक्स–रे टैक्नी0	प्रा0स्वा0के0त्यूणी, देहरादून	श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे टै0/06/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे/06/2019/12279 देहरादूनः दिनांक–24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
3.	श्री कमलेश कुमार मिश्रा	एक्स–रे टैक्नी0	सामु0स्वा0के0पुरोला, उत्तरकाशी	एल0डी0भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे टै0/06/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एल0डी0भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे/06/2019/1228

देहरादूनः दिनांक–24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
4.	श्री शुएब अहमद	एक्स–रे टैक्नी0	श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर	प्रा0स्वा0के0त्यूणी, देहरादून	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे टै0/06/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी/देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे/06/2019/ 12283 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	एक्स–रे टैक्नी0	सामु0स्वा0के0जसपुर, ऊधमसिंहनगर	सामु0स्वा0के0भिकियासैण, अल्मोडा	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/एक्स–रे टै0/06/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल
(संयुक्त निदेशक(पैरा॥0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / एक्स–रे / 06 / 2019 / 1235 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री देवेन्द्र पाठक	एक्स–रे टैक्नी0	एल0डी0भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर	सामु0स्वा0के0पुरोला, उत्तरकाशी	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / एक्स–रे टै0 / 06 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर / उत्तरकाशी।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल
(संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / एक्स–रे / 06 / 2019 / 12287 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेन्द्र सिंह	एक्स–रे टैक्नीशियन	राजकीय सैन्ट मेरी चिकित्सालय, मसूरी	अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / एक्स–रे टैक्नी0 / 06 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून / हरिद्वार।
4– प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय सैन्ट मेरी चिकित्सालय, मसूरी।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / एक्स–रे / 06 / 2019 / 12289 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गिरीराज सिंह	एक्स–रे टैक्नीशियन	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, श्रीनगर गढवाल	राजकीय सैन्ट मेरी चिकित्सालय, मसूरी	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / एक्स–रे टैक्नी0 / 06 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय सैन्ट मेरी चिकित्सालय, मसूरी / राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, श्रीनगर गढवाल।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / श्रीनगर गढवाल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

३८

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / एक्स–रे / 06 / 2019 / 12291 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स–रे टैक्नीशियन संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर निजी अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सहदेव वर्मा	एक्स–रे टैक्नीशियन	जिला चिकित्सालय, पौडी	कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / एक्स–रे टैक्नी0 / 06 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– प्रमुख अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौडी।
4– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कोरोनेशन चिकित्सालय, देहरादून ।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / पौडी गढवाल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/डी0आर0ए0/09/2019/ 12293 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डी0आर0ए0 संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सोबन सिंह	डी0आर0ए0	सामु0स्वा0के0भिकियासैण, अल्मोडा	बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, नैनीताल	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/डी0आर0ए0/09/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी अधिकारी, अल्मोडा।
4– प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/हल्द्वानी, नैनीताल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
(संयुक्त निदेशक(पैरा॥0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / दृष्टिमितिज्ञ / 04 / 2019 / 12311 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती आशा कश्यप	वरि0दृष्टिमितिज्ञ	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

तद्दिनांकित।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / दृष्टिमितिज्ञ / 04 / 2019 /

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून ।
4– प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / उत्तरकाशी।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून। 24/06/19

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / दृष्टिमितिज्ञ / 04 / 2019 / 12313 देहरादूनः दिनांक–

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	वरि0दृष्टिमितिज्ञ	समु0स्वा0के0सहसपुर, देहरादून	सामु0स्वा0के0अगस्त्यमुनी, रूद्रप्रयाग।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / दृष्टिमितिज्ञ / 04 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / रूद्रप्रयाग।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/12315 देहरादूनः दिनांक–

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेश कुमार त्रिपाठी	वरि0दृष्टिमितिज्ञ	सामु0स्वा0के0भीमताल, नैनीताल	सामु0स्वा0के0देघाट, अल्मोडा।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल /अल्मोडा।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/12317 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह	वरि0दृष्टिमितिज्ञ	जे0एल0एन0जिला चिकित्सालय, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	सामु0स्वा0के0रामगढ, नैनीताल।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जे0एल0एन0जिला चिकित्सालय, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ ऊधमसिंहनगर।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ 12319 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री महेन्द्र सिंह पछाई	दृष्टिमितिज्ञ	सामु0स्वा0के0भीमताल, नैनीताल	सामु0स्वा0के0भिकियासैण, अल्मोडा।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल /अल्मोडा।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ 12321 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राकेश कुमार पाल	वरि0दृष्टिमितिज्ञ	सामु0स्वा0के0देघाट, अल्मोडा	सामु0स्वा0के0टनकपुर, चम्पावत।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ 12322 तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत ।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/अल्मोडा।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ 12323 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अजय कुमार सिंह	दृष्टिमितिज्ञ	सामु0स्वा0के0रामगढ, नैनीताल	जे0एल0एन0, जिला चिकित्सालय, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– प्रमुख अधीक्षक, जे0एल0एन0, जिला चिकित्सालय, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर / नैनीताल।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/12325 देहरादूनः दिनांक–24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनाक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती सोनिया शर्मा	दृष्टिमितिज्ञ	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर।	जनहित

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।
4– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी /देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

वी0के0नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / दृष्टिमितिज्ञ / 04 / 2019 / 12327 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती प्रीति	ऑप्टोमेट्रिस्ट	सामु0स्वा0के0अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	सामु0स्वा0के0सहसपुर, देहरादून	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / दृष्टिमितिज्ञ / 04 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग / देहरादून।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / दृष्टिमितिज्ञ / 04 / 2019 / 12329 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30 / XXX–2 / 2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता हैः–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राहुल तेवतिया	ऑप्टोमेट्रिस्ट	सामु0स्वा0के0बेतालघाट (हाल सम्बद्ध–सामु0स्वा0 के0 किच्छा)	सामु0स्वा0के0किच्छा, ऊधमसिंहनगर	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प / पैरा0 / दृष्टिमितिज्ञ / 04 / 2019 / तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल / ऊधमसिंहनगर।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ 12331 देहरादूनः दिनांक– 24/06/19

–: आदेश :–

शासनादेश संख्या–30/XXX–2/2018–30(13)2017, दिनांक–06.02.2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2019–20 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–04 से कॉलम संख्या–05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री उत्तम सिंह	ऑप्टोमेट्रिस्ट	सामु0स्वा0के0भिकियासैण, अल्मोडा	सामु0स्वा0के0भीमताल, नैनीताल	निजी अनुरोध

1– सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियन्त्रक अधिकारी को आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण–पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

2– उक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।

3– स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरणी नियमावली–2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।

4– दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

5– निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(रविन्द्र थपलियाल)
महानिदेशक

पत्र संख्या–3प/पैरा0/दृष्टिमितिज्ञ/04/2019/ तद्दिनांकित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
4– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
6– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7– गार्ड फाईल।

(वी0के0 नौटियाल)
संयुक्त निदेशक(पैरा0)

Scanned with CamScanner